2015/00139

67/2015

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मूसलपुर)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 67/2015

1–प्रेमवती पत्नी रामसिंह 2–अशोक 3–मांगीलाल 4–दिनेश पुत्रगण स्व0 रामसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ

– – – – वादीगण

बनाम

1–पूरन पुत्रश्री लाचारी 2–भीकम पुत्रश्री पूरन 3–विजेन्द्र 4–लाखन 5– मुरारी पुत्रगण होती 6–फूलवती पत्नी मोहनसिंह 7–करतारसिंह पुत्रश्री पातीराम जाति जाटव निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ
8–सत्यवती पुत्री रामसिंह पत्नी श्री रामप्रसाद जाति जाटव निवासी जीन की मण्डी मुरैना मध्य प्रदेश
9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपउ

– – – – प्रतिवादीगण

दावा वावत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री रामवीरसिंह –
श्री करतारसिंह (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक 12.6.2017

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 425, 25 एवं 422 वाके ग्राम मूसलपुर तहसील सेपऊ का पेश किया । दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर दिनांक 22.6. 2016 को गुणावगुण के आधार पर दावा वादीगण प्रारंभिक डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ की ओर से राजस्व लोक अदालत /कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये । प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकार को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा विवादित

आराजी खसरा नम्बर 425 के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है तथा खसरा नम्बर 25 व 422 के वावत् अंकित किया है कि उक्त दोनों ही नम्बर वादीगण की खातेदारी में होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये है । साथ ही यह भी अंकित किया है कि प्रारंभिक डिक्री में रामवीर का नाम अंकित नहीं है जबकि रिकार्ड में रामवीर का नाम अंकित है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित व्यक्तियों से भी जानकारी ली गई, उन्होने सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिक्री किये जाने की प्रार्थना की । तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बर के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. करतारसिंह पुत्रश्री पातीराम कौम जाटव निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ राहिन हिस्सा 3/4 आर जी बी शाखा मंनिया

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	425/2	0.05

2. प्रेमवती पत्नी रामसिंह व रामवीर पुत्र व सत्यवती पुत्री रामसिंह हिस्सा 1/2 फूलवती पत्नी मोहनसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाटव निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	425/1	0.05

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज़ कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 25 व 422 वाके ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ के इन्द्राज बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है । साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.6.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी